पत्रांक –10 / न 4–30 / 2005 मा0........... / –

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार
पटना ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः– वीणा विद्या निकेतन, राजीवनगर, रोड नं0–21, पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय्

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित "लिच्छुवी एडुकेशन एण्ड सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट" के द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निबंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न हो होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है परन्तु सभी का पेशा सामाजिक कार्यकर्त्ता बताया गया है । "सामाजिक कार्यकर्त्ता" एक सामान्य शब्द है। इससे वास्तविक व्यवसाय का पता नही चलता है । शर्त्त के अनुरूप विद्यालय को ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वास्ताविक पेशा को स्पष्ट करना चाहिए । सदस्यों की सूची संलग्न है ।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी / न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के brand name उपयोग नही करने का दावा किया है ।
3. विद्यालय को मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में 30 वर्षो के लीज पर भूमि प्राप्त है । तत्काल विद्यालय राजीव नगर रोड नं0–21, पटना में स्थित भवन में संचालित है । विद्यालय के अनुसार भवन एवं अन्य सुविधा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्ड के अनुरूप है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एव सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है ।
4. विद्यालय में **13** शिक्षक है, जिनमें **12** प्रशिक्षित है । शिक्षको की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर किये जाने का दावा किया गया है और विज्ञापन की प्रति भी संलग्न किया गया है । लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उपस्थापित नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो ।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य मे विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्को, वार्षिक लेखा, अंकेखण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है । विद्यालय अपने आश्वासन के

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पडोस मे निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें ।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एव उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर वीणा विद्या निकेतन, राजीवनगर, रोड नं0–21, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त पत्र की छायाप्रतिलिपि संलग्न है ।

VEENA VIDYA NIKETAN Aff. No. 330362 School No. 65357 Rajeev Nagar Main Road, Patna-24

विश्वासभाजन

ह0/–
(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,

अनुलग्नक –

पटना, दिनांक:– 23.6.16

ज्ञापांक – 422

प्रतिलिपि – प्राचार्य, वीणा विद्या निकेतन, राजीवनगर, रोड नं0–21, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,